न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 64/2016

1. बेअन्त सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह आयु 30 साल जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. छिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखमन कौर पुत्री श्री छिन्द्र सिंह पत्नी श्री अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.09.2016

वादी छिन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 05.05.2016 को स्वयं में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 श्री छिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह के नाम से चक 2 बी छोटी का खाता संख्या 77/65 (मुताबिक जमाबन्दी 2066–2069) का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 25/.107 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/1 का 0.101, 9/2 का 0.126, 10/.288, 12/.253, 13/2 का 0.127, 17/2 का 0.127, 18/.253, 19/.253, 22/.025, 23/.025, 24/.025 कुल 1.650 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/72 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21/.202 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/2 का .126, 2 ता 4 प्रत्येक 0.253, 7/.253, 8/.253, 9/1 का 0.127, 13/2 का 0.126, 14/.253 17/1 का 0.126 कुल 2.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार समस्त 3.875 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपनें माता पिता से विरासत में प्राप्त हुई है तथा पैतृक सम्पत्ति है।

इस प्रकार उक्त समस्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है, जो जद्दी जायदाद होनें के कारण इसमें वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा शादीशुद्धा है, उसनें अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है।

वादी उक्त भूमि में काश्त कर रहा है तथा प्रतिवादी के साथ वादी का मुश्तरका कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब तुम चाहोगे, सहमति से बटवारा तुम्हारे नाम कर दूंगा। कुछ दिन पूर्व वादी से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा है, कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा

लगातार 2

देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 25.04.2016 प्रतिवादी संख्या 1 नें वादी को उसके हिस्से की भूमि को विक्रय कर देगा। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है।

इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित भूमि चक 2 बी छोटी का खाता संख्या 77/65 (मुताबिक जमाबन्दी 2066–2069) का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 25/.107 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/1 का 0.101, 9/2 का 0.126, 10/.288, 12/.253, 13/2 का 0.127, 17/2 का 0.127, 18/.253, 19/.253, 22/.025, 23/.025, 24/.025 कुल 1.650 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/72 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21/.202 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/2 का .126, 2 ता 4 प्रत्येक 0.253, 7/.253, 8/.253, 9/1 का 0.127, 13/2 का 0.126, 14/.253 17/1 का 0.126 कुल 2.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार समस्त 3.875 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी को उसको हिस्सा की भूमि दिलाकर खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त भूमि वादी के ना से दर्ज करवाई जाकर, लगाम कायम करनें का आदेश फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 22.06.2016 को उपस्थित होकर राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी एवम् प्रतिवादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा करवा दिया है, अब एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है। तथा पंचायत द्वारा वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादी एवम् प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से घरू बंटवारा अनुसार चक 2 बी छोटी का खाता संख्या 77/65 का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 25/.107 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/1 का 0.101, 9/2 का 0.126, 10/.288, 12/.253, 13/2 का 0.127, 17/2 का 0.127, 18/.253, 19/.253, 22/.025, 23/.025, 24/.025 कुल 1.650 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/72 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21/.202 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/2 का .126, 2 ता 4 प्रत्येक 0.253, 7/.253, 8/.253, 9/1 का 0.127, 13/2 का 0.126, 14/.253 17/1 का 0.126 कुल 2.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार समस्त 3.875 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी श्री बेअन्त सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह आयु 30 साल जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर तथा प्रतिवादी संख्या एक छिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। का 1/2–1/2 हिस्सा प्राप्त है

प्रविादी संख्या 2 अपनी स्वेच्छा से उक्त भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। उक्त राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया है अतः उक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर व एतराज नहीं होगा।

दिनांक 30.06.2016 को राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र में वादी नें अपनें कथन में भूमि पैतृक होना

लगातार 3

लिखा है, वाद पत्र में आज दिनांक तक कोई ऐसा साक्ष्य संलग्न नहीं किया है जिसमें साबित होता हो कि भूमि पैतृक है, जब तक वादी यह साबित नहीं करता की भूमि पैतृक है। केवल लिखनें मात्र से पैतृक होनें का वाद नहीं चल सकता वर्तमान में खारिज योग्य है वाद सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय हेतु आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई तथा वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर दिनांक 08.09.2016 को बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार चक 2 बी छोटी का खाता संख्या 77/65 का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 25/.107 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/1 का 0.101, 9/2 का 0.126, 10/.288, 12/.253, 13/2 का 0.127, 17/2 का 0.127, 18/.253, 19/.253, 22/.025, 23/.025, 24/.025 कुल 1.650 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/72 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21/.202 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/2 का .126, 2 ता 4 प्रत्येक 0.253, 7/.253, 8/.253, 9/1 का 0.127, 13/2 का 0.126, 14/.253 17/1 का 0.126 कुल 2.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार समस्त 3.875 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक एवम् की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद दिनांक 22.06.2016 को वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी एवम् प्रतिवादी की अपनी पैतृक सम्पति के सम्बध में राजीनामा में वर्णित भूमि चक 2 बी छोटी का खाता संख्या 77/65 का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 25/.107 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/1 का 0.101, 9/2 का 0.126, 10/.288, 12/.253, 13/2 का 0.127, 17/2 का 0.127, 18/.253, 19/.253, 22/.025, 23/.025, 24/.025 कुल 1.650 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/72 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 21/.202 व मुरब्बा नम्बर 26 का किला नम्बर 1/2 का 0.126, 2 ता 4 प्रत्येक 0.253, 7/.253, 8/.253, 9/1 का 0.127, 13/2 का 0.126, 14/.253 17/1 का 0.126 कुल 2.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि, में वादी बेअन्त सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर तथा प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)